न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, अष्टम्, औरंगाबाद (बिहार)।

उपस्थित–मनीष कुमार जायसवाल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1615/2026 /78/2026

अभिमन्यु राज. .....आवेदक।

वनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी।

साईबर थाना कांड संख्या–24/2026

आदेश तिथि : 29.07.2026

29-07-2026 आवेदक अभिमन्यु राज उर्फ मुन्ना की ओर से साईबर थाना कांड संख्या–24/2026 अंतर्गत धारा–318(4),319(2),61(2),111 B.N.S. & 66(c),66(D),84(B) IT Act में अपनी गिरफ्तारी के आशंका को देखते हुये अलग–अलग अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी गई है। पुकार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक न्यायालय में उपस्थित हुए। बचाव पक्ष द्वारा जमानत आवेदन संचालित कर कथन किया गया है कि–

घटना तिथि को सूचक को यह गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि नगर थाना कांड संख्या 90/26 के प्राथमिकी अभियुक्त मो0 शाकिब उर्फ सैडो का साथी रहान आलम और उसके अन्य साथी ठहरे हुए हैं एवं होटल से साइबर अपराध को अंजाम दे रहे हैं, जिसके सत्यापन के लिए गार्गी होटल पहुँचा तो पाया गया कमरा संख्या 105 में ठहरे व्यक्ति ने अपना नाम मो0 कौसैन अख्तर एवं मो0 शाहिद आजाद बताया। जॉच में यह पाया गया कि मो0 अनीस नाम के आई0डी0 से मेक माई ट्रीप एप्लीकेशन से इनके साथ फरहान आलम के द्वारा होटल में कमरा बुक कराया गया है और उसके द्वारा पेमेंट किया गया है। एक पेमेंट अलग से चांदनी तबस्सुम के नाम से किया गया है जो मो0 आदिल की पत्नी हैं। मो0 आदिल, फरहान आलम का फुफेरा भाई है। अनीस आलम नामक व्यक्ति इस होटल में नहीं ठहरा हुआ है, बल्कि उसकी जगह पर मो0 कौसैन अख्तर ठहरा हुआ है। मो0 कौसैन अख्तर का मोबाईल चेक करने पर पाया गया कि उनके मोबाईल में टेलीग्राम एप्लीकेशन में कई .apk file है, जिसके माध्यम से दूसरे का Mobile/Computer Device compromised कर बड़ा साईबर फॉड किया जाता है। मो0 कौसैन अख्तर के लैपटॉप में Craxs Rat नामक Software Installed है। दोनों के द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया गया कि जितना भी मोबाईल को इन लोगों के द्वारा इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हैक किया जाता है उनकी सभी गतिविधि को उक्त साफटवेयर द्वारा सुरक्षित किया जाता है और उसका यूपीआई UPI Transactions का पिन प्राप्त कर मो0 साकिब उर्फ सैडो को देते हैं जो पीड़ित के खाते से अलग–अलग तरीके से अवैध रूप से राशि की निकासी की जाती है। सैडो नगर थाना कांड संख्या 90/2026 में काराधीन है तथा साइबर फॉड से संबंधित काम कराता है। जॉच के क्रम में साइबर अपराध में इनकी संलिप्तता पाये जाने के बाद 1. मो0 कौसैन अख्तर के द्वारा प्रस्तुत किया गया उनका लैपटॉप, 04 मोबाईल, 02 ए.टी.एम. कार्ड,

लगातार.....

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, अष्टम्, औरंगाबाद (बिहार)।

उपस्थित–मनीष कुमार जायसवाल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1615/2026 /78/2026

अभिमन्यु राज. .....आवेदक।

वनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी।

साईबर थाना कांड संख्या–24/2026

आदेश तिथि : 29.07.2026

Contd-------

29-07-2026 इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का पासबुक कार्ड–01, एवं 2. मो0 शाहिद आजाद के द्वारा प्रस्तुत किया गया उनका मोबाईल, आधार कार्ड, वोटर आई0डी0 कार्ड एवं मो0 साकिब का आधार कार्ड विधिवत जप्त किया गया।

आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है तथा जैसा प्राथमिकी में कहा गया है, वैसी कोई घटना कारित नहीं की गई है। अभियुक्त मुफसिल थाना कांड संख्या–87/25 एवं लाल बाजार, कलकता कांड संख्या–69/25 में अभियुक्त है। प्राथमिकी में मात्र प्रार्थी का चार मोबाईल नम्बर आया है, जिसके लिए आरोपित किया गया है। आवेदक के द्वारा न तो रूपये का गबन किया गया है और न हेरा–फेरी किया गया है। आवेदक के पास से रूपया की बरामदगी नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय के प्रत्येक शर्तों का पालन करने को तैयार हैं। अतः आवेदक/अभियुक्त को किसी भी राशि के बंधपत्र पर अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और कहा गया कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति का है और वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है।

उभय पक्ष को सुना एवं वाद दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन साईबर थाना कांड संख्या–24/2026 अंतर्गत धारा–318(4),319(2),61(2),111 B.N.S. & 66(c), 66(D),84(B) IT Act से सम्बन्धित है, जिसमें सूचक का यह आरोप है कि आवेदक अभियुक्त वाद के अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर साईबर काईम की योजना में सम्मिलित रहते हैं, परन्तु वाद दैनिन्की में आवेदक अभियुक्त के मोबाईल से किन–किन व्यक्तियों का पैसा गबन किया गया है, के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है और न ही आवेदक घटनास्थल पर मौजूद था। साइबर अपराध में संलिप्तता से संबंधित कोई सामाग्री आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध अभिलेख पर मौजूद नहीं हैं।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, आवेदक अभियुक्तों को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

लगातार.....

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, अष्टम्, औरंगाबाद (बिहार)।

उपस्थित–मनीष कुमार जायसवाल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1615 / 2026 / 78 / 2026

अभिमन्यु राज. .....आवेदक।

वनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी।

साईबर थाना कांड संख्या–24 / 2026

आदेश तिथि : 29.07.2026

Contd-------
29-07-2026

अतः पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी की स्थिति में या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में आदेश संसूचना की तिथि से चार सप्ताह के अंदर आवेदक/अभियुक्त के आत्मसमर्पण किये जाने की दशा में बीस–बीस हजार रूपये के दो विश्वसनीय जमानतदारों एवं उतने ही धनराशि के बंधपत्र निष्पादित किये जाने पर संबंधित विद्वान न्यायालय की संतुष्टि पर धारा 438(2) दं0प्र0सं0 में दिये गये शर्तो के अधीन रहते हुए उपरोक्त आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

अपर सत्र न्यायाधीश, अष्टम्,
औरंगाबाद।